न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–2,लखीमपुर–खीरी।
एस0टी0सं0–297/2022
पंजीयन सं0–2771/2022
सी0एन0आर0सं0–यू0पी0एल0पी0–010040812022
राज्य बनाम गुड्डू व अन्य

मुकदमा अपराध सं0–317/2020
धारा–272भा0दं0सं0 व 60(2)आबकारी अधि0
थाना–गोला,जिला–खीरी

02–05–2025

पत्रावली पेश हुई, पुकार करायी गयी, पुकार पर उपस्थित कोई नही। अभियुक्ता शीलावती का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, आज के लिये स्वीकृत।

थाना गोला से अभियुक्त गुड्डू की मृत्यु आख्या आहूत की गयी, सम्बन्धित थाने से इस आशय की मृत्यु आख्या आयी कि अभियुक्त गुड्डू की मृत्य हो चुकी है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत वजीरनगर वि0ख0 बांकेगंज ,खीरी द्वारा जारी मृतक गुड्डू का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु आख्या के साथ संलग्न है। जिसके सम्बन्ध में तामील कुनिंदा को तलब किया गया,तामील कुनिंदा सी0डब्लू01 उपनिरीक्षक राजीव शुक्ला का बयान अंकित किया गया, बयान में कथन किया कि, न्यायालय द्वारा प्राप्त मृत्यु आख्या का तामीला मुझ उपनिरीक्षक द्वारा किया जिसमें पूर्व में एस0आई0 राजकुमार द्वारा आख्या प्रेषित की गयी थी जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांकित 18.08.2023 को जारी ग्राम प्रधान रामसागर द्वारा ही जारी किया गया है। मेरे द्वारा अभियुक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मृत्यु आख्या के साथ संलग्न कर दाखिल की गयी है। साक्षी ने मृत्यु आख्या पर अंकित रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहा। जिस पर प्रदर्श क–1 एंव ग्राम प्रधान द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांकित 18.08.23 जो संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

अतः उपरोक्त् के विवेचन से स्पष्ट है कि अभियुक्त गुड्डू की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध मामला चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त गुड्डू पुत्र रामस्वरूप निवासी वजीरनगर थाना गोला जिला लखीमपुर खीरी की मृत्यु हो जाने के कारण **अभियुक्त गुड्डू के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित** की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 15.05.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–2
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0–यू0पी0 6162

Digitally signed by RAJESHWARI TOLIA
Date: 2025.05.02 16:09:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court